राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
51/2023	05.09.2023	10.10.2025

बउनवान

1. हरसी पुत्र सुरत्या, निवासी सरोकर, जिला सवाईमाधोपुर, हाल निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. सुखराम पुत्र सुरत्या निवासी सरोकर जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. किरोडी पुत्र सुरत्या, निवासी सरोकर, जिला सवाईमाधोपुर, हाल निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. चौथी पुत्र सुरत्या, निवासी सरोकर, जिला सवाईमाधोपुर, हाल निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
4. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बैजूपाडा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात ग्राम निहालपुरा, पटवार हल्का निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खतौनी संख्या नयी 238 पुरानी 220 के खसरा नं. 1130 रकबा 0.38 हेक्टे., खसरा नं. 1131 रकबा 0.82 हैक्टे., 1133 रकबा 1.64 हैक्टे., 1134 रकबा 4.41 हेक्टे., 1134/1170 रकबा 0.25 हैक्टे., 1135 रकबा 0.35 हैक्टे., 1136 रकबा 0.27 हैक्टे., 1137 रकबा 0.48 हैक्टे., 1138 रकबा 0.27 हैक्टे., 1143 रकबा 0.31 हैक्टे., 1144 रकबा 0.40 हैक्टे., 1145 रकबा 0.15 हैक्टे., 1152 रकबा 0.07 हैक्टे., 1153 रकबा 0.10 हैक्टे., 1154 रकबा 0.21 हैक्टे., 1155 रकबा 0.12 हेक्टे., 1155/1202 रकबा 0.01 हेक्टे., 1157 रकबा 0.15 हैक्टे., 1158 रकबा 0.31 हैक्टे., 1159 रकबा 0.34 हैक्टे., 1160 रकबा 0.28 हैक्टे., 1162/1191 रकबा 0.50 हैक्टे., कुल किता 22, कुल रकबा 11.82 हैक्टे. प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की सम्मिलित कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि है। भूमि में प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा है। भूमि मुतदाविया का अभी तक विविधत सरस नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हुआ है जिसको मौके पर बांट रखा है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि काश्त कर मुफीद

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

होता चला आ रहा है लेकिन भूमि का तकास्मा नहीं होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा को लेकर, फसल बोते–काटते समय व लगान जमा कराते समय आपस में विवाद हो जाता है। अप्रार्थीगण के मन में अब बदयान्ती हो गयी है तथा वे अब बिना भूमि का विधिवत तकास्मा हुये भूमि, जो कि नदी के लगती हुयी भूमि है, में से बिना विधिक अधिकारों के जबरन अवैध बजरी का खनन कर रहे है तथा कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करने पर आमादा है तथा भूमि में जे.सी.बी. व ट्रेक्टरों से जगह–जगह गड्डे करके नाकाबिल काश्त करने पर तुले हुये हैं। प्रार्थी मना करता है तो जान से मारने पर आमादा हो जाते है तथा ऐलानिया धमकी देते है कि यदि प्रार्थी ने हमको बजरी निकालने से रोका तो जान से मार देंगे तथा प्रार्थी को उसकी भूमि में काश्त नही करने देंगे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी के विरुद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा प्रार्थी से आये दिन झगडा फसाद करते रहते है। दिनांक 30.08.2023 को कई जेसीबी व ट्रेक्टर लेकर भूमि में जबरन अवैध बजरी खनन करने के लिये गडड्े खोदना शुरू कर दिया व अवैध बजरी का खनन करना शुरू कर दिया। प्रार्थी ने मना किया तो आमादा फिसाद हो गये तथा अप्रार्थीगण ने धमकी कि हम भूमि को दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे तथा प्रार्थी को बेदखल करके रहेगे तथा काश्त नही करने देगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकास्मा करवा लो। फिर आप अपने हिस्से की पर बजरी निकालो या निर्माण करो या भूमि को बेचान कर देना तो अप्रार्थीगण तकास्मा करवाने से भी साफ इंकार हो गये। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगे। ऐसी सूरत में सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के विवादित आराजीयात का, जब तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे, तब तक भूमि या उसके किसी भी भू–भाग पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार से अवैध बजरी का खनन करने से, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने से, प्रार्थी को फसल बोते व काटते समय झगडा फिसाद करने से तथा प्रार्थी की भूमि में उगे हुये पेड पोधो को खोदने से काटने से, किसी दीगर शख्स को रहन बय करने से एव अप्रार्थी संख्या 4 भूमि मुतदाविया की बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को बहैसियत पंजीयन अधिकारी पंजीयन करने से व व अप्रार्थी संख्या 5 बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार तब्दीली करने से ताफैसला दावा स्थायी तौर पर पाबंद रहें। भूमि मुतदाविया की मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। भूमि में से किसी भी प्रकार की अवैध बजरी का खनन नही करने के लिये पाबंद किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 05.09.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम निहालपुरा, पटवार हल्का निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा नं. 1130, 1131, 1133, 1134, 1134/1170, 1135 ता 1138, 1143 ता 1145, 1152 ता 1155, 1155/1202, 1157 ता 1160, 1162/1191, कुल किता 22, कुल रकबा 11.82 हैक्टे. के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, ग्राम निहालपुरा, पटवार हल्का निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा में स्थित विवादित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजीयात का प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन प्रार्थी के हिस्से में बजरी खनन किया जाता है अथवा प्रार्थी के हिस्से में कोई निर्माण कार्य किया जाता है है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण बिना विभाजन अच्छी भूमि पर काबिज हो जाते हैं और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम निहालपुरा, पटवार हल्का निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा नं. 1130, 1131, 1133, 1134, 1134/1170, 1135 ता 1138, 1143 ता 1145, 1152 ता 1155, 1155/1202, 1157 ता 1160, 1162/1191, कुल किता 22, कुल रकबा 11.82 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05.09.2023 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उपरोक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)